संख्या-165/2020/2457/22-2-2019-17(745)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 मई, 2020***

विषय:- जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी सोनवा देवी पत्नी श्री राम सिंगार, निवासी जनपद-गोरखपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5/दयायाचिका बैठक-06-08-2019 दिनांक 06-09-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी सोनवा देवी पत्नी श्री राम सिंगार, जो वेलवादाखिली, थाना-बडहलगंज, जनपद-गोरखपुर की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा महिला को कोढ़ के रोग से ग्रसित होने के कारण दिनांक 22-02-1999 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर उक्त महिला की जलाकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-13/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,302/201 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-03, गोरखपुर के आदेश दिनांक 27.06.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा 0उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.07.2012 द्वारा बहाल रखा गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 05.08.2018 तक 05 वर्ष 08 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 06 वर्ष 05 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने महिला बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की संभावना के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित महिला बन्दी सोनवा देवी (बन्दी संख्या-03/2013) पत्नी श्री राम सिंगार, निवासी जनपद-गोरखपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-165/2020/2457(1)/22-2-2019 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in